विद्यालयी शिक्षा एवं मदरसा शिक्षा व्यवस्था में अंतर्द्वंद्व एवं सार्थक समाधान

सुनीता सिंह*
जैन बहादुर**

शिक्षा न केवल लोगों को क्षमतावान बनाती है, बल्कि सामाजिक प्रगति और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी आवश्यकता भी है, जिसकी शुरुआत विद्यालयी शिक्षा से होती है। विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था निर्धारित मानदंडों एवं प्रक्रियाओं से संपन्न होती है। जो संवैधानिक मूल्यों तथा सामाजिक मूल्यों एवं उसके ताने-बाने से संबंधित होती है। विद्यालयी शिक्षा के अलावा अनौपचारिक रूप से मदरसे भी शिक्षा प्रदान करते हैं, जिसके अपने सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। इस शोध पत्र में शोधार्थियों द्वारा अनौपचारिक मदरसा शिक्षा और औपचारिक विद्यालयी शिक्षा के बीच शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उनमें व्याप्त अंतर्द्वंद्व को प्रस्तुत किया गया है। इस हेतु तथ्य संकलित करने के लिए शोधार्थियों ने अपने स्थानीय अनुभवों के साथ-साथ अनौपचारिक मदरसा और प्राथमिक विद्यालयों का अवलोकन किया तथा अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का साक्षात्कार लिया। इस शोध पत्र में अनौपचारिक मदरसा शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्द्वंद्वों के विभिन्न पक्षों को बताया गया है। साथ ही, इन अंतर्द्वंद्वों के समाधान को निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा एक विशेष प्रकार के वातावरण में संपन्न होती है जिसकी अपनी संरचनाबद्ध अवधारणा होती है। जैसे ही हम विद्यालय का नाम सुनते हैं वैसे ही हमारे मस्तिष्क में एक संरचना बनने लगती है जिसका अपना एक निश्चित स्थान, समय, प्रशासन एवं प्रबंधन, दिशा-निर्देश इत्यादि होते हैं। स्कूली शिक्षा का तात्पर्य राज्य या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्य विवरण के अनुसार औपचारिक रूप से नियमित शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों एवं शिक्षा प्रणाली से है। विद्यालय में सीखना जिस विशेष प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत होता है उसमें प्रमुख रूप से पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, अनुशासन, अध्यापक, विद्यार्थी, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया और परीक्षा प्रणाली आदि शामिल होते हैं। इन संघटकों की परस्पर अंतर्क्रिया से विद्यालय में सीखना एक प्रक्रिया के रूप में होता है, जिसका उपयोग विद्यार्थी अपने व्यावहारिक जीवन में करते हुए एक सामाजिक एवं आर्थिक नागरिक बनकर, राष्ट्र के निर्माण में योगदान देता है।

**शोधार्थी*, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 110007
***असिस्टेंट प्रोफेसर*, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 110007

सीखने को लेकर सामान्यतया यही मिथ्या धारणा है कि सीखना सिर्फ़ विद्यालय में ही होता है जबकि ऐसा नहीं है, सीखना विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर जीवनपर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे प्राय: औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। इस प्रक्रिया में न सिर्फ़ सीखना होता है बल्कि ज्ञान की पुनर्निर्मित भी होती है। समाज से मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा न सिर्फ़ बच्चे में सीखने-सिखाने की स्वाभाविक क्षमता का विकास करती है, साथ ही, उसे अपने आस-पास के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक वातावरण से सीखने का पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।

विद्यालय में सीखना-सिखाना सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। "सीखने की प्रक्रिया सामाजिक संबंधों के ताने बाने में लगातार चलती रहती है, जब अध्यापक और विद्यार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतर्क्रिया करते हैं" (*एन.सी.एफ. 2005*)। इसलिए विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर विद्यार्थियों को समता एवं समानता के संवैधानिक मूल्यों तथा समाज की विविधता और बहुलता के प्रति सम्मान का भाव सिखाया जाता है। इसी संदर्भ में डीवी (2009) कहते हैं कि शिक्षा, सामाजिक ताना-बाना है। विद्यालयों में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया न सिर्फ़ जीवन की आवश्यकता के लिए बल्कि सामाजिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए। उनके अनुसार स्कूली शिक्षा द्वारा बच्चों में ऐसी क्षमता विकसित होनी चाहिए जिससे वह अपने आस-पास के वातावरण की ऊर्जा का न केवल उपयोग कर सकें बल्कि उनका पुन: नवीनीकरण कर सकें।

विद्यालय में सीखने का आरंभ भी बच्चे के उस सामाजिक परिवेश से होना चाहिए जिससे वह आता है ताकि उसका सीखना सहज एवं सुगम हो सके। इसी अवधारणा पर *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* कहती है कि बच्चे का समुदाय और उसका स्थानीय वातावरण अधिगम प्राप्ति के लिए प्राथमिक संदर्भ होता है, जिसमें ज्ञान अपना महत्व अर्जित करता है। परिवेश के साथ अंतर्क्रिया करके ही बच्चा ज्ञान का सृजन करता है और जीवन में सार्थकता पाता है।

स्कूली शिक्षा और समुदाय के बीच महत्व को दर्शाते हुए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* बताती है कि, "विद्यालय पूरे समुदाय के लिए सम्मान और उत्सव का स्थान होना चाहिए। एक संस्थान के रूप में विद्यालय की प्रतिष्ठा को पुन: स्थापित करना चाहिए और विद्यालय में स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिवस समुदाय के साथ मिलकर मनाए जाने चाहिए। इस दिन विद्यालय के विशिष्ट भूतपूर्व विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित की जानी चाहिए और उनका सम्मान होना चाहिए। इस्तेमाल न होने वाले समय अथवा दिनों में, विद्यालय की भौतिक सुविधाओं का उपयोग समुदाय के लिए बौद्धिक, सामाजिक और स्वयंसेवी गतिविधियों के आयोजन के लिए और सामाजिक मेलजोल के लिए किया जाना चाहिए। जिससे विद्यालय एक 'सामाजिक चेतना केंद्र' के रूप में भी भूमिका निभाए (*एन.ई.पी. 2020*)।

भारत विविधताओं का देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म एवं सम्प्रदाय हैं जिनका अपना सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयाम है। इस विविधता के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को

अपनी इच्छानुसार शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार दिया गया है और इस प्रकार के विद्यालयों को अनुदान देने में राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। मदरसा शिक्षा भी इसी का हिस्सा है जिसका अपना एक समृद्ध इतिहास है। मदरसा अरबी शब्द है जिसकी उत्पत्ति 'दरस' शब्द से हुई है। दरस शब्द का अर्थ है सिखाना या पढ़ाना। ('जाऐ दरस' 'दरस देने या पढ़ाने की जगह')। भारत में मदरसा शिक्षा का आरंभ मध्यकाल में मुस्लिमों के आने से ही प्रारंभ हो गया था। जार्ज मकदासी के अनुसार मुस्लिम समुदाय की शिक्षा मस्जिदों से खानकाहों से होते हुए मदरसों तक पहुँची। मदरसे के दो अभिकरण हैं— मकतब तथा मदरसा। मकतबों में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है जबकि मदरसे में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। अधिकांश रूप से मदरसों एवं मकतबों की स्थापना मुस्लिम शासकों एवं मुस्लिम कुलीन वर्गों द्वारा की गई। अधिकांश रूप में मकतब, मस्जिद का ही अनिवार्य रूप होता है। जहाँ बच्चों को कुरआन और नमाज़ के बारे में बताया जाता है (आरा, 2004)। कुछ मदरसे स्थानीय चैरिटी (दान) एवं लोगों के सहयोग से भी संचालित होते थे। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी एवं सिकन्दर लोदी ने मदरसों की शिक्षा में विशेष योगदान दिया।

ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के प्रसार ने मदरसा शिक्षा को व्यापक रूप से प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन ने संपूर्ण शिक्षा की संरचना को पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के आधार पर निर्मित करना चाहा। पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति के विस्तार ने कहीं न कहीं मुस्लिम शिक्षा की अस्मिता को भी प्रभावित किया। जिसका तत्कालीन लोगों द्वारा विरोध किया गया और परम्परागत विद्यालय या मदरसा शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा के प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया। इसका दूसरा स्वरूप यह है कि मदरसा शिक्षा पद्धति अपने उद्देश्यों एवं प्रक्रिया विशेष में जटिल व रूढ़िवादी होती चली गई। यह शिक्षा पाठ्यक्रम, विषयवस्तु धीरे-धीरे समसामयिकता एवं सामाजिक प्रासंगिकता को खोती चली गई और शिक्षा व्यवस्था मुस्लिम धर्म और संस्कृति के प्रभुत्व में आ गई (आरा, 2004)। जिसकी परिणिति विभिन्न आंदोलनों और संगठनों के रूप में होती है।

अंग्रेजी सरकार के रवैये से मुस्लिम शिक्षा की अस्मिता कहीं नष्ट न हो जाए, इस दृष्टि से 1866 में ननौता निवासी हजरत मौलाना मुहम्मद याकूब ने सहारनपुर एवं मुज़फ्फरनगर के देवबंद कस्बे में पेड़ के नीचे शिष्य महबूब हसन को पढ़ाना शुरू किया। यह मदरसा आज दारूलऊलूम के नाम से प्रसिद्ध है। बाद में जामिया निजामिया (1876), नदवतुल उलेमा (1894) आदि मदरसे स्थापित हुए। आलम (2003) ने मध्यकालीन मदरसा और वर्तमान मदरसा में अंतर करते हुए वर्तमान मदरसा को 'नया मदरसा' या 'आधुनिक मदरसा' की संज्ञा दी। इसका विकास वह औपनिवेशिक शासन के समय से मानते हैं। उनके अनुसार औपनिवेशिक शासन में, शिक्षा के विस्तार ने मुस्लिम एवं मदरसा शिक्षा जगत में एक तरह की असुरक्षा का निर्माण किया जो कहीं-न-कहीं उनकी अस्मिता के लिए संकट प्रतीत हुआ, जिसके बदले में मदरसा शिक्षा व्यवस्था ने अपने निजी, सार्वजनिक जीवन में औपनिवेशिक सत्ता द्वारा होने वाले किसी भी तरह के हस्तक्षेप को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। जिसका स्वरूप आज भी देखने को मिलता है। इसने एक प्रकार की विभाजनकारी स्थिति उत्पन्न कर दी, जो धार्मिक रूढ़िवादिता के रूप में संरचित हुई।

शिक्षा लोगों के विकास की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। शिक्षा के महत्व को देखते हुए प्रत्येक समुदाय, जेंडर, धर्म, क्षेत्र इत्यादि को समान शिक्षा के अवसर मिल सकें इसके लिए संविधान द्वारा कई प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 14 द्वारा सभी को कानून में समानता और कानून द्वारा समान सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, मूल निवास, जेंडर और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 21 शिक्षा को जीवन जीने के अधिकार के लिए आवश्यक मानते हुए 6 से 14 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 26 अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण, अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। धर्म, सम्प्रदाय विशेष की शिक्षा के साथ ही विभिन्न धर्मों के लोग औपचारिक मुख्यधारा की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं।

संवैधानिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के बावजूद भी उनकी शिक्षा तक पहुँच या गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त करना चुनौती बनी हुई है। देश की साक्षरता के आँकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर देखा जाए तो सबसे अधिक निरक्षता दर मुस्लिम समुदाय की 42.7 प्रतिशत है, हिन्दू की 36.3 प्रतिशत, जैन की 13.57 प्रतिशत, सिक्ख की 32.49 प्रतिशत, बौद्ध की 28.16 प्रतिशत है (जनगणना 2011)। सच्चर कमेटी (2006) के अनुसार मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा उठाई जाने वाली मुख्य परेशानियाँ जहाँ पहचान, सुरक्षा और समानता के मुद्दे से जुड़ी हुई हैं, वहीं मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की कमी सबसे अधिक गहन चिंताओं में से एक है। उपरोक्त विमर्शों में हमने समझा कि विद्यालय शिक्षा और अनौपचारिक मदरसा शिक्षा को लेकर विभिन्न प्रकार की सीखने संबंधी चुनौतियाँ हैं, जिसके कई पक्ष हैं।

मदरसा शिक्षा संबंधी नीतिगत पहल

वर्तमान समय में औपचारिक रूप से संचालित होने वाले मदरसा शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने और उसे सुदृढ़ करने के लिए सरकारों द्वारा कई नीतिगत पहलें की गई हैं। विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'मदरसों व अल्पसंख्यकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एस.पी.एम.एम.)' का संचालन किया जा रहा है। इसमें दो योजनाएँ शामिल की गई हैं— पहली, मदरसों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एस.पी.क्यू.ई.एम.) और दूसरी, अल्पसंख्यक संस्थानों के बुनियादी ढाँचे के विकास की योजना (आई.डी.एम.आई.)।

मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना का उद्देश्य मदरसों में ऐसा गुणात्मक सुधार करना है कि मुस्लिम बच्चों की औपचारिक शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानकों के अनुसार प्राप्त हो सके।

एस.पी.क्यू.ई.एम. योजना की विशेषताएँ

- मदरसा और मकतब जैसे पारंपरिक संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता

प्रदान करना ताकि वे इन संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को कक्षा एक से बारह तक शैक्षणिक दक्षता प्रदान कर सकें।

- इन संस्थानों के विद्यार्थियों को विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के माध्यमिक स्तर के समतुल्य शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना।
- राज्य मदरसा बोर्डों को मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की निगरानी करने और मुस्लिम समुदाय के बीच शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए उनकी सहायता करके राज्य मदरसा बोर्डों को मज़बूत करना।
- मदरसों में गुणवत्ता घटकों, जैसे कि उपचारात्मक शिक्षण, मूल्यांकन और सीखने के प्रतिफलों में वृद्धि, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान आदि की व्यवस्था करना।
- इस योजना के तहत नियुक्त अध्यापकों के शैक्षणिक कौशल और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए उन्हें विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी के आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना।

अल्पसंख्यक संस्थानों के बुनियादी ढाँचे के विकास की योजना (आई.डी.एम.आई.)

- अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा की सुविधाएँ सुलभ कराने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों (प्राथमिक व माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) में बुनियादी ढाँचे को बढ़ाकर अल्पसंख्यकों को शिक्षा की सुविधा देना।
- अल्पसंख्यकों की लड़कियों, दिव्यांग बच्चों और शैक्षिक रूप से सबसे अधिक वंचित बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाओं को प्रोत्साहित करना।
- औपचारिक रूप से चल रहे मदरसों को सुदृढ़ करने हेतु योजना (स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा/माइनॉरिटीज— एस.पी.ई.एम.एम.) के अंतर्गत मदरसों में विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, वांछित वार्षिक अनुरक्षण, लागत प्रावधान, पुस्तकालय सामग्री उपलब्ध कराने की मंशा जताई गई है। इस योजना के द्वारा मदरसों तथा सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता नज़र आती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा पर विशेष बल देती है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में अल्पसंख्यक वर्ग को सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्ग (एस.ई.डी.जी.) के अंतर्गत रखा गया है। जिसके तहत नीति अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को विद्यालय और उच्च शिक्षा स्तर पर कम प्रतिनिधित्व को स्वीकार करती है और इस वर्ग की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष हस्तक्षेप पर बल देती है। स्कूली शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए नीति छात्रवृत्ति, कैश हस्तांतरण, साईकिल प्रदान करना जैसे कई अन्य विशेष प्रावधानों की अनुशंसा करती है। साथ में शिक्षण प्रक्रिया एवं पाठ्यचर्या को लेकर संरचनात्मक बदलाव पर भी बल देती है।

शोध अध्ययन का औचित्य

शिक्षा पढ़ने-लिखने की योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया से कहीं अधिक है। जिसका अपना एक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू होता है। शिक्षा हमारी अस्मिता की निर्मिति एवं दैनिक जीवन को समझने में मदद करती है।

मदरसा शिक्षा को लेकर कई तरह के विमर्शों, लेखों एवं नीतिगत दस्तावेज़ों का अध्ययन किया गया, जो सकारात्मक एवं सुधारात्मक शोधों की माँग करते हैं।

सच्चर कमेटी (2006) द्वारा मुस्लिम समाज की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन किया गया था। इस कमेटी ने पाया कि आर्थिक स्थिति एक बड़ा कारण है जो मुस्लिम समाज की शिक्षा को प्रभावित करता है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक स्थिति न केवल पढ़ने के संसाधनों की प्राप्ति को प्रभावित करती है, बल्कि शिक्षा के आर्थिक लाभ को भी प्रभावित करती है। कमेटी मुस्लिम बच्चों की स्कूली शिक्षा में विशेष कार्यक्रम, संरचना और बदलाव लाने की आवश्यकता का सुझाव देती है।

अत: कहा जा सकता है कि मदरसा शिक्षा अपने साथ कई जटिलताओं को लिए हुए है। शोधार्थी ने स्थानीय स्तर पर व्यक्तिगत अवलोकन कर अनुभव किया कि मुस्लिम समाज के बच्चे जो अनौपचारिक मदरसे में पढ़ते हैं, वे शासकीय विद्यालय में भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। चूँकि यह दोनों संस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को अनौपचारिक व औपचारिक तरीके से प्रसारित कर रही हैं, परंतु इनका शैक्षिक उद्देश्य अलग-अलग है। ऐसी स्थिति में मुस्लिम बच्चों में क्या किसी प्रकार से सीखने को लेकर कोई संकट उत्पन्न होता है? क्षेत्रों में क्या अनौपचारिक व औपचारिक शिक्षा एक-दूसरे के शैक्षिक पहलुओं को प्रभावित करती है? मुस्लिम विद्यार्थियों को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? यह जानने के उद्देश्य से यह शोध अध्ययन किया गया। साथ ही, शोधार्थी द्वारा अनौपचारिक मदरसा और प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम सहित शिक्षण प्रक्रिया में अंतर होने के कारण मुस्लिम बच्चों को किस प्रकार की चुनौतियों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्या उनमें किसी प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न होता है? वर्तमान में विभिन्न मदरसा/मुस्लिम शिक्षा संबंधी नीतियाँ कितनी सार्थक हो रही हैं? इन सबकी पड़ताल करने का प्रयास किया गया।

शोध उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के उद्देश्य थे—

- प्राथमिक विद्यालय व मदरसों के बीच आपसी तालमेल एवं शिक्षण पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति तथा अध्यापक एवं विद्यार्थियों की समस्याओं का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

इस शोध अध्ययन की गुणात्मक प्रकृति एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक अनुसंधान पद्धति का उपयोग किया गया। शोध उपकरण के लिए अर्द्धसंरचनात्मक साक्षात्कार और अवलोकन विधि का प्रयोग किया गया।

शोध अध्ययन के लिए न्यादर्श के रूप में उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के सैदनगर और चमरव्वा ब्लॉक में संचालित होने वाले प्राथमिक विद्यालयों में से तीन विद्यालयों— प्राथमिक विद्यालय, बगड़ खाँ; प्राथमिक विद्यालय, मझरा इमरसा; तथा प्राथमिक विद्यालय, मझरा पट्टी का चयन किया गया था। इसके साथ ही इन्हीं ब्लॉकों में संचालित होने वाले अनौपचारिक मदरसे, जो मस्जिदों में संचालित

होते हैं, का चयन किया गया था, जिनके नाम हैं— मदरसा फैजान खोद; मदरसा अब्दुला हाकिमगंज; मदरसा बिलाल मुर्सेना खोद; मदरसा दारुल उलूम बगड़ खाँ।

भारत की जनगणना (2011) के अनुसार रामपुर की कुल जनसंख्या 2,335,819 है। जिसमें शहरी आबादी 25.2 प्रतिशत और ग्रामीण आबादी 74.8 प्रतिशत है। कुल जनसंख्या में हिंदुओं की जनसंख्या 45.97 प्रतिशत, मुस्लिम 50.57 प्रतिशत, क्रिश्चियन 0.93 प्रतिशत, सिक्ख 2.80 प्रतिशत, बौद्ध 0.02 प्रतिशत और जैन 0.06 प्रतिशत हैं। रामपुर जिले की साक्षरता दर 53.3 प्रतिशत है जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 61.40 प्रतिशत और महिलाओं की साक्षरता दर 44.40 प्रतिशत है।

विश्लेषण व विवेचन

इस शोध अध्ययन हेतु अवलोकन एवं साक्षरता के आधार पर संकलित तथ्यों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया—

- ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों और मदरसों में अध्ययनरत मुस्लिम विद्यार्थियों के समय प्रबंधन संबंधी यथार्थ एवं चुनौतियाँ;
- ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों और मदरसों में अध्ययनरत मुस्लिम विद्यार्थियों के भाषाई पठन, लेखन, गणितीय ज्ञान एवं विज्ञान से संबंधित यथार्थ एवं चुनौतियाँ;
- ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों और मदरसों में अध्ययनरत मुस्लिम विद्यार्थियों व अध्यापकों की चुनौतियाँ;
- ग्रामीण मुस्लिम अभिभावकों का सरकारी प्राथमिक विद्यालय व मदरसों के शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण;
- मदरसों व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बीच सामंजस्य से संबंधित स्थिति;
- ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों और मदरसों में शिक्षण करने वाले अध्यापकों की विद्यालय प्रबंधन व शिक्षण कार्य से संबंधित चुनौतियाँ; और
- मदरसों व प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षण पद्धतियों में तुलना।

ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों और मदरसों में अध्ययनरत मुस्लिम विद्यार्थियों के समय प्रबंधन संबंधी यथार्थ एवं चुनौतियाँ

गाँव बगड़ खाँ के प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत मुस्लिम विद्यार्थियों से वार्तालाप व अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उनके मदरसा का नाम—मदरसा दारुल उलूम बगड़ खाँ है। जहाँ प्रातः 6:00 बजे से 8:00 बजे तक मौलवी साहब सबक देते हैं जबकि उनके प्राथमिक विद्यालय का समय प्रात: 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक है। अनौपचारिक मदरसों व प्राथमिक विद्यालय के समय प्रबंधन में विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। मदरसों से सबक जल्दी लेकर विद्यालय पहुँचने की हड़बड़ी और विद्यालय में देर से पहुँचने पर अध्यापक की डाँट-डपट के बीच मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थी दोनों प्रकार की शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। साथ ही, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापकों को मुस्लिम विद्यार्थियों का तब तक इंतज़ार करना पड़ता है, जब तक वे मदरसों से पढ़कर नहीं आ जाते। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। वे अपने आपको सिर्फ़ दोनों जगह उपस्थित होने तक ही सीमित रख पाते हैं। इस प्रकार मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों व विद्यालय के अध्यापकों

को मदरसों व प्राथमिक विद्यालयों की समय सारणी में सामंजस्य स्थापित करने के लिए समय संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। परंतु इस बात की भी पुष्टि होती है कि मुस्लिम समुदाय के लोग बच्चों को औपचारिक शिक्षा या प्राथमिक स्कूली शिक्षा प्राप्त कराना चाहते हैं।

ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों और मदरसों में अध्ययनरत मुस्लिम विद्यार्थियों के भाषाई पठन, लेखन, गणितीय ज्ञान एवं विज्ञान से संबंधित यथार्थ एवं चुनौतियाँ

ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय मझरा इमरसा की शिक्षिका से वार्तालाप कर मदरसों से प्राप्त शिक्षा के अनुप्रयोग संबंधित सवाल पूछने पर पता चला कि ये विद्यार्थी अनौपचारिक मदरसों में प्रातः 6:00 बजे से 9:00 बजे तक इस्लाम धर्म की आयतें व सिपारे का अध्ययन करते हैं। उन्हें केवल उर्दू अक्षरों को पहचानना व पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना नहीं सिखाया जाता है। इस प्रकार भाषाई ज्ञान के अंतर्गत वे केवल उर्दू विषय को ही पढ़ना सीख पाते हैं जबकि वे लेखन कौशल में पिछड़े हैं। प्राथमिक विद्यालय बगड़ खाँ के विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान कौशल को जाँचने पर पता चला कि वहाँ के मुस्लिम विद्यार्थियों को उर्दू पढ़ना और पहचानना आता है, लेकिन वे लिख नहीं पाते हैं। कक्षा 1, 2 व 3 के विद्यार्थी भाषाई ज्ञान में हिंदी के दो अक्षर और तीन अक्षर के बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ पा रहे थे। जबकि उन्हें मात्रा संबंधी ज्ञान व लेखन नहीं आता था। इस प्रकार मदरसा व प्राथमिक विद्यालय दोनों में ही अक्षरों को पढ़ने, पहचानने, रटने पर बल दिया जाता था। परंतु उनकी लेखन क्षमता सामान्यतया कम थी। इस समस्या को नीतिगत संदर्भ में समझें तो *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करना तात्कालिक रूप से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखती है। नीति, 2025 तक विद्यार्थियों को सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना एक उद्देश्य मानती है।

प्राथमिक विद्यालय मझरा इमरसा में स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2019) को रीडिंग मेले का आयोजन किया गया था। शिक्षिका प्रज्ञा सिंह द्वारा अलग-अलग मेज़ों पर शब्द जोड़, शब्दों के खेल, कहानी, पहेलियों के माध्यम से शब्द जोड़ना, शब्दों को पढ़ना सिखाया गया। उनसे वार्तालाप करने पर पता चला कि वह विज्ञान विषय की विशेषज्ञ हैं, परंतु उन्हें विद्यार्थियों को विज्ञान से संबंधित जानकारी सिखाने में चुनौती का सामना करना पड़ता है। बच्चों को समाजीकरण द्वारा उनके धार्मिक एवं मिथकीय ज्ञान को इस तरह से आत्मसात करा दिया जाता है कि इसका प्रभाव कक्षा में भी दिखाई देता है। प्राथमिक विद्यालय मझरा इमरसा के बालकों के गणितीय ज्ञान में मदरसों की शिक्षा कहाँ तक सहायक है? पूछने पर शिक्षिका ने बताया कि मदरसों में केवल उर्दू पढ़ने पर बल दिया जाता है। वहाँ किसी भी प्रकार की ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, जो प्राथमिक विद्यालय के विषयी ज्ञान को सीखने में मदद करे। जबकि मदरसों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एस.पी.क्यू.ई.एम.) में वैज्ञानिक तर्कपूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है।

ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों और मदरसों में अध्ययनरत मुस्लिम विद्यार्थियों व अध्यापकों की चुनौतियाँ

प्राथमिक विद्यालय मझरा पट्टी की प्रधानाध्यापिका से वहाँ की अध्ययनरत मुस्लिम बालिकाओं की

शैक्षिक परिस्थितियों से संबंधित वार्तालाप करने पर पता चला कि मझरा गाँव के मुस्लिम समुदाय के परिवारों में महिलाओं की आर्थिक व शैक्षिक स्थिति अच्छी नहीं है। ये महिलाएँ जरी जड़ने का काम एवं साड़ी कढ़ाई का काम करती हैं। अधिकांशतः 10 वर्ष से अधिक उम्र की छात्राएँ अपनी माताओं के साथ साड़ी बुनने का कार्य करने लगती हैं। उनके नाम विद्यालय में नामांकित होते हैं, लेकिन जीविकोपार्जन की समस्या के कारण वे विद्यालय में पूरा समय नहीं दे पाती हैं। प्राथमिक विद्यालय मझरा इमरसा में भी इस प्रकार की समस्या समाने आई। शिक्षिका ने बताया कि 12 वर्ष से बड़ी उम्र की मुस्लिम बालिकाएँ कढ़ाई का काम करती हैं। प्रत्येक कारचोव कढ़ाई पीस पर उन्हें 200 रूपये मिलते हैं। अतः वे इस कार्य में अधिक रुचि लेती हैं। साथ ही शिक्षिका ने बताया कि 5 से 10 वर्ष की मुस्लिम लड़कियों के साथ उनके एक से तीन वर्ष के भाई-बहन विद्यालय में आते हैं, यदि मना किया जाए तो वे कहती हैं कि अम्मी घर में काम कर रही हैं। इस प्रकार छोटे भाई-बहनों का लालन-पालन, कढ़ाई करना, उर्दू सीखना भी इनकी प्रमुखता है जो इन लड़कियों की विद्यालयी शिक्षा में कहीं-न-कहीं बाधक है।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार, मुस्लिमों के शैक्षिक रूप से पिछड़े होने का मुख्य कारण घोर गरीबी है। विद्यालय से ड्रॉपआउट होना मुस्लिम लड़कियों के लिए आम बात है। साथ ही, गरीब परिवारों द्वारा छोटे बच्चों से यह उम्मीद की जाती है कि कुटीर उद्योगों या घरेलू नौकरों के रूप में काम करके परिवार की आमदनी में योगदान करें। इसके अलावा अगर इन बच्चों के माता-पिता काम पर जा रहे हैं, तो वह घर में रहकर अपने छोटे भाई-बहनों का ध्यान रखें। इसी प्रकार के परिणाम श्रीनिवासन (1960) ने इंगित करते हुए कहा है कि मुस्लिम परिवारों की लड़कियाँ माता बनने से पहले ही माँ और पत्नी की भूमिका को निभाने लगती हैं। वहीं सरस्वती (1999) के अनुसार मुस्लिम समुदाय की लड़कियों की बचपन व युवावस्था के बीच में किशोरावस्था प्रायः खो जाती है, क्योंकि ये अपने परिवार के साथ अनेक ज़िम्मेदारियों में बचपन से बाँध दी जाती हैं। इस प्रकार के सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़िवादी कायदे-कानून इनके बचपन से औरत तक की भूमिका का निर्धारण करते हैं। इन बालिकाओं को अपने घरों में प्राय: अपने बड़े भाइयों, पिता, मामा अर्थात पुरुषों के साथ टेलीविजन देखने की भी अनुमति नहीं होती है। इस प्रकार ग्रामीण परिवेश में मुस्लिम बालिकाएँ प्रायः 12 वर्ष की आयु पूरी करने तक विद्यालय व घर की दुनिया में तालमेल बनाना सीख जाती हैं। इस स्थिति पर शिक्षिका का कहना था कि यह एक बड़ी चुनौती है कि मुस्लिम अभिभावकों का बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। अभिभावकों में सकारात्मकता को लाने के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शपथ का आयोजन किया गया था। जिसमें शपथ दिलाई गई थी कि वे बालक और बालिका की शिक्षा में भेदभाव नहीं करेंगे। मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा में जेंडर जनित भेदभाव स्पष्ट दिखाई देता है।

प्राथमिक विद्यालय मझरा इमरसा की शिक्षिका ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुस्लिम बालिकाओं को वे गाना व नृत्य सिखा रही थीं तो कुछ अभिभावकों ने विद्यालय में आकर चेतावनी दी कि वे अपनी

लड़कियों को नृत्य एवं गाना नहीं सिखाना चाहते हैं। साथ ही, उनका कहना था कि मुस्लिम बालिकाएँ पाँच वर्ष की अवस्था से ही सूट, सलवार और दुपट्टा पहन कर विद्यालय आती हैं। जोकि मुस्लिम बालिकाओं की शैक्षिक आज़ादी पर नियंत्रण को दर्शाता है। गुप्ता (2015) ने बताया कि पर्दा प्रथा में बड़ी हो रहीं मुस्लिम बालिकाओं की विद्यालयी शिक्षा भी गुप्त पाठ्यचर्या के अंतर्गत इस प्रकार सामाजीकरण में मदद करती है।

ग्रामीण मुस्लिम अभिभावकों का सरकारी प्राथमिक विद्यालयों व मदरसों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

ग्रामीण इलाकों में मदरसों व प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों का मत जानने के लिए प्राथमिक विद्यालय मझरा पट्टी की छात्रा नसरीन के अभिभावक से बात की गई। उन्होंने बताया कि मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक व सामान्य शिक्षा दोनों ज़रूरी हैं। वे चाहते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य गाँव के प्राथमिक विद्यालय में उर्दू अध्यापकों की भर्ती की जाए, जिससे मुस्लिम बच्चे उर्दू भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकें। उर्दू भाषा की शिक्षा पर प्राथमिक विद्यालय मझरा इमरसा की शिक्षिका ने बताया कि मुस्लिम समुदाय की माताएँ प्रायः अपराह्न आकर कहती हैं कि हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए ये मदरसे में जाएँगे। यहाँ के अभिभावकों का मदरसा शिक्षा के प्रति अपेक्षाकृत सकारात्मक दृष्टिकोण है। शिक्षिका ने बताया कि प्रायः जुमे के दिन (शुक्रवार) विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय में पूरी होती है, क्योंकि जुमे को मदरसा बंद होता है। शिक्षिका से यह प्रश्न पूछने पर कि मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों के अभिभावकों के सामने क्या चुनौती है? उन्हें किस प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है? इस पर शिक्षिका ने चार प्रमुख चुनौतियाँ बताईं जो इस प्रकार हैं—

प्रथम चुनौती— ग्रामीण मुस्लिम अभिभावकों की उच्च शिक्षा व सामान्य शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण में कमी है। यही बात बसंत (2007) ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के विश्लेषण में पाई कि मुस्लिम बालिकाओं की साक्षरता दर अन्य धार्मिक समुदायों से कम होती है।

द्वितीय चुनौती— ग्रामीण मुस्लिम परिवारों में माताओं का अशिक्षित होना व परिवार में बच्चों की संख्या अधिक होना।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (2007) के अनुसार ग्रामीण इलाकों में मुस्लिम समुदाय में परिवार के सदस्यों की संख्या कम से कम सात व औसतन दस होती है। जनगणना (2011) के अनुसार भी मुस्लिम जनसंख्या में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो कुल आबादी का 14.2 प्रतिशत है। इस समुदाय की औसत प्रजनन दर दशमलव सात प्रतिशत अधिक है। परिवार में सदस्यों की संख्या जैसे-जैसे अधिक होती है, उन घरों में महिलाओं की भोजन बनाने, बच्चे पालने और घरेलू कार्यों की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसे घरों में महिलाओं की साक्षरता कौशल, अखबार, मैगजीन पढ़ने एवं सीखने के अवसर प्रायः समाप्त हो जाते हैं। इन परिवारों में पलने वाली मुस्लिम बालिकाओं को बचपन से ही बच्चे पालना एवं खाना बनाने का हुनर सिखाया जाता है। ये परिवार में अपनी अम्मी एवं खाला के साथ बड़ी होती हैं।

तृतीय चुनौती— मुस्लिम समुदाय का संकीर्ण परंपरागत धार्मिक दृष्टिकोण।

गुप्ता (2008) के अनुसार प्रायः जहाँ मुस्लिम समुदाय का जनसंख्या घनत्व अधिक होता है वहाँ

पर इनकी अन्य समुदायों के साथ अंतर्क्रिया प्रायः धार्मिक पहचान के आधार पर होती है। मुस्लिम पहचान को लेकर सच्चर कमेटी (2006) इस बात की पुष्टि करती है कि भारतीय मुस्लिमों की पहचान से जुड़े मुख्य मुद्दों में से एक है, सार्वजनिक क्षेत्र में 'एक मुस्लिम' की तरह पहचाने जाना। मुस्लिम पहचान के संकेतक बुरका, दाढ़ी इत्यादि हैं, जो भारतीय मुसलमानों की विशिष्टता बढ़ाते हैं, वहीं सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके लिए यह चिंता का कारण भी है। जिसकी परिणति कभी-कभी साम्प्रदायिक रूप में भी देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में शिक्षा की सार्थकता पर भी सवाल खड़ा होता है। जबकि भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा प्रजातांत्रिक व सामाजिक मूल्यों का आधार है। वहीं ग्रामीण मुस्लिम समुदाय की शिक्षा आज भी अपेक्षाकृत अधिक परंपरागत धार्मिक संकीर्ण विचारों एवं मान्यताओं से प्रभावित है।

चतुर्थ चुनौती— ग्रामीण मुस्लिम समुदाय की अर्थिक विपन्नता।

बरमन (2010) के अनुसार मुस्लिम समुदाय के अधिकांश अभिभावक असंगठित एवं अनौपचारिक तरीके से कार्य करते हैं। ये अपने जीवन काल में जीविकोपार्जन हेतु अनेक तरह के व्यवसायों का चयन करते हैं तथा भविष्य के सुरक्षित जीवन के लिए आवश्यक धन का संचय भी नहीं करते हैं।

गाँव मझरा इमरसा की मुस्लिम अभिभावक से पूछा गया कि आखिर क्या वजह है कि आप लोग अपने बालक-बालिकाओं को छोटे व्यावसायिक कार्यों में लगाना पसंद करते हैं? उनकी उच्च शिक्षा को प्रमुखता देने के बजाए उन्हें आप दर्ज़ी, नाई, टायर पंचर बनाना आदि कार्य सिखाते हैं। इस पर अभिभावक ने कहा कि, "हम मुस्लिम हैं हमें हिंदुस्तान की सरकारी नौकरियों में कौन रखेगा"। शिक्षा और रोज़गार को लेकर मुस्लिमों में इस प्रकार की असुरक्षा और निराशा की पुष्टि सच्चर कमेटी (2006) भी करते हुए बताती है कि मुस्लिमों में शिक्षा को लेकर यह भरोसा ही नहीं है कि हमारी शिक्षा पद्धति निश्चित रूप से विधिवत रोज़गार पाने में मदद करेगी। सरकारी या निजी क्षेत्रों में मुस्लिमों का कम प्रतिनिधित्व तथा वैतनिक नौकरियाँ पाने में पक्षपात की भावना के कारण मुस्लिमों में अन्य सामाजिक वर्गों की तुलना में विधिवत व्यावहारिक शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है। इसका एक कारण प्रशासनिक, नीतिगत और राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी कम मौजूदगी तथा उनके लिए अवसरों का अभाव भी है (सच्चर कमेटी, 2006)। वहीं प्राथमिक विद्यालय मझरा इमरसा की शिक्षिका का कहना था कि उनके विद्यालय के मुस्लिम विद्यार्थी प्रखर बुद्धि वाले हैं, यदि उन्हें विद्यालय में अध्ययन के साथ ही घर पर सकारात्मक वातावरण मिल जाए, तो वे निश्चित रूप से अच्छा सीख सकते हैं।

मदरसों व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बीच सामंजस्य

प्राथमिक विद्यालय बगड़ खाँ के अध्यापक मकदूम से पूछा गया कि क्या मदरसों के मौलवी साहब आपके विद्यालय में आकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की रुचि, उपस्थिति, एकाग्रता आदि से संबंधित कोई वार्तालाप करते हैं? यह प्रश्न इसलिए किया गया कि प्राथमिक विद्यालय बगड़ खाँ के 95 विद्यार्थियों में से 40 विद्यार्थी प्राथमिक विद्यालय व मदरसा दोनों

में अध्ययन करते हैं। अध्यापक से यह पूछा गया कि क्या आप लोग कभी मदरसा में जाकर मौलवी साहब से विद्यार्थियों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। उनका उत्तर था कि मदरसों के मौलवी व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बीच कोई आपसी अंतर्संबंध व तालमेल सामान्यतया नहीं होता है।

यहाँ यह प्रश्न है कि यदि दोनों शिक्षा की इकाइयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा का उद्देश्य जहाँ अच्छा नागरिक बनाना है, तो इनमें इतना अलगाव क्यों है? यह सही है कि मदरसा व प्राथमिक विद्यालय दोनों के शैक्षिक लक्ष्यों में अंतर होता है, परंतु दोनों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी एक ही हैं। अतः यहाँ यह चिंतन की बात है कि यदि गाँव में अध्यापक और मौलवी दोनों मिलकर विद्यार्थियों का सतत व व्यापक मूल्यांकन करें, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सकती है। उदाहरणस्वरूप, स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में मदरसा दारुल उलूम बगड़ खाँ व प्राथमिक विद्यालय बगड़ खाँ दोनों का उद्देश्य केवल झंडा फहराना और मिष्ठान वितरण करना था। दोनों ही इस अवसर पर आज़ादी के मायने नहीं बताए गए। यदि मौलवी साहब व प्राथमिक विद्यालय दोनों आपस में समन्वय कर एक ही स्थान पर स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करते तो शायद बच्चे ज़्यादा सीख पाते। मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों व सरकारी विद्यालयों के गैर-मुस्लिम विद्यार्थियों के बीच कैसी अंतर्क्रिया होती है? इसे जानने के लिए शिक्षिका से पूछा गया तो (प्राथमिक विद्यालय मझरा इमरसा) उन्होंने बताया कि मदरसों के विद्यार्थियों का आपसी मतभेद सुलझ जाता है, लेकिन यदि मुस्लिम विद्यार्थियों का गैर-मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों से झगड़ा हो जाए, तो मुस्लिम अभिभावक तुरंत अपने पाल्यों का विद्यालय से नाम हटाकर मदरसों में पढ़ने की बात बोलते हैं। इस प्रकार कहीं न कहीं यह द्विमार्गी व्यवस्था सकारात्मकता के साथ-साथ सामुदायिक प्रेम और सौहार्द में एक अड़चन की तरह भी कार्य करती है। जिसका प्रमुख कारण लोगों में भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक समरसता के प्रति सम्मान की भावना एवं समझ का अभाव है। प्राथमिक विद्यालय बगड़ खाँ के अध्यापक से पूछने पर कि मुस्लिम समुदाय के बालकों को निजी या सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने पर अधिक शैक्षिक लाभ किसमें होगा? उनका उत्तर था कि भारत में मुस्लिम समुदाय के बालकों को दोनों तरह के विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने आधुनिक मदरसों के स्थान पर मस्जिद में चल रहे मदरसों को महत्व दिया। उनका मानना था कि मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। मुस्लिम विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा अन्य समुदाय के विद्यार्थियों के साथ मिलनी चाहिए, इससे गैर-मुस्लिम वर्गों के साथ मुस्लिम समुदाय का संबंध अच्छा होगा व समाज में सामंजस्य एवं सौहार्द स्थापित होगा।

ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों और मदरसों में शिक्षण करने वाले अध्यापकों की विद्यालय प्रबंधन व शिक्षण कार्य से संबंधित चुनौतियाँ

प्राथमिक विद्यालय मझरा इमरसा की शिक्षिका ने विद्यालय प्रबंधन व शिक्षण कार्य से संबंधित चुनौतियों को बताते हुए कहा कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय में प्रायः अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश इसलिए करवाना पसंद करते हैं क्योंकि सरकारी विद्यालय

में बच्चों को पहनने के लिए पोशाक, जूते, खाने के लिए भोजन, पुस्तकें इत्यादि निःशुल्क में मिलती हैं। इस प्रकार इनका उद्देश्य यहाँ पर मिलने वाली शिक्षा से अधिक यहाँ मिलने वाले निःशुल्क संसाधनों को प्राप्त करना होता है। विद्यार्थियों की संख्या प्रायः उस दिन पूरी होती है, जिस दिन स्वेटर, पोशाक, जूते, छात्रवृति का वितरण होता है। अतः केवल विद्यालय द्वारा प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की जाने वाली सामग्री प्राप्त करने की मानसिकता से ग्रसित अभिभावकों के पाल्यों को शिक्षित करना अपने आप में एक चुनौती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में आने वाली बाधाओं के रूप में प्रायः विद्यालय में पोशाक वितरण, जूते पर टैग लगाना, पुस्तक वितरित करना, रजिस्टर बनाना, मध्याह्न भोजन बनवाना, भोजन वितरण इत्यादि ऐसे मासिक व दैनिक कार्य हैं, जिनके प्रबंधन में अध्यापक का अधिकांश समय चला जाता है और शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। अतः शिक्षण कार्य और वितरण प्रबंधन में सामंजस्य करना एक चुनौती है।

शिक्षिका ने यह भी बताया कि अधिकांशतः ग्रामीण मुस्लिम समुदाय मदरसों की पढ़ाई के बाद बच्चों को छोटे-मोटे कार्य, दुकान पर बैठना, पेंचर बनाना आदि कार्य कराने से संतुष्ट रहते हैं। उनके लिए सामान्य शिक्षा में आगे बढ़ना प्रथम प्राथमिकता नहीं होती है। मुस्लिम बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था में जोड़ना और उसमें बनाए रखना दूसरी चुनौती है। इसके अलावा विद्यालय, गाँव व सामाजिक वातावरण भी मुस्लिमों में जेंडर आधारित भेदभाव की शिक्षा को प्रेरित करने वाला दिखाई देता है। सिल्वरमैन (1988) व हॉल (1959) ने अपने शोध में यह बताया है कि विद्यालयी वातावरण किस प्रकार जेंडर जनित भेदभाव को बढ़ावा देता है। ब्रेइन्सटीन (1977) ने बताया कि घर में प्रयोग होने वाली भाषा व व्यवहार जेंडर आधारित भेदभाव को पैदा करते हैं। फ्रोम (1990) ने बताया कि सामाजिक चरित्र निर्माण में एक ही कारण ज़िम्मेदार नहीं होता है बल्कि विचारधारा जनित ऐतिहासिक विरासत में मिले परंपरागत मूल्य भी ज़िम्मेदार होते हैं।

मदरसों व प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षण पद्धतियों में तुलना

अवलोकन के दौरान यह पाया गया कि मस्जिद में चल रहे मदरसों में मुस्लिम विद्यार्थी चटाई पर बैठ कर अध्ययन करते हैं। मौलाना साहब प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से अपने पास बुलाकर एक सबक याद करने के लिए देते हैं। अधिकांशतः विद्यार्थी कुरआन शरीफ़ की आयतों को बोलकर व हिलकर रटते हैं। जबकि प्राथमिक विद्यालयों में बैठक व्यवस्था मस्जिद में चल रहे मदरसों जैसी ही थी। विद्यार्थी चटाई पर बैठकर अपनी-अपनी कक्षाओं में पुस्तकें पढ़ रहे थे। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का अधिकांश बल सामूहिक शिक्षण पर था। व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों पर ध्यान कम दिया जा रहा था। प्राथमिक विद्यालय बगड़ खाँ की प्रधानाध्यापिका की अध्यापन शैली विद्यार्थियों को व्यस्त रखने वाली थी। अध्यापक मिड डे मील के संचालन में व्यस्त थे। यह देखकर लगा कि एक तरफ बच्चे जहाँ मदरसों में मौलाना साहब की धार्मिक शिक्षा का सत्य सीखकर सबक ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विद्यालय में शिक्षिका अच्छे बच्चों का पाठ पढ़ाकर मौन होकर सुनना सिखा रही हैं। जो बाल-केंद्रित शिक्षा के विपरीत है। जहाँ केवल अध्यापक ही सब कुछ कर रहा है और बच्चों की

सहभागिता नहीं है। अध्ययनरत विद्यार्थियों में से एक भी विद्यार्थी स्वयं उठकर प्रश्न नहीं कर रहा था। मदरसा में मौलाना साहब कक्षाओं में बड़े-बुजुर्गों का आदर, सम्मान आदि के संबंध में मूल्यपरक शिक्षा दे रहे थे। इस प्रकार मदरसों व प्राथमिक विद्यालय दोनों में ही शिक्षण प्रक्रिया अध्यापक केंद्रित पाई गई। जिसमें बच्चों का स्वतंत्र चिंतन करना, तर्क करना, वैज्ञानिक सोच का विकास बाधित हो रहा है। बर्नस्टीन (1960) ने अपने शोध में मुस्लिम समुदाय की शिक्षा को सामाजिक व भाषाई आधार पर वर्णित किया है। उनके अनुसार विद्यालय के अध्यापक प्रायः एक मॉडलिंग सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इनकी शिक्षण विधियाँ मुस्लिम बालिकाओं को संकीर्ण चरित्र में बाँधने वाली होती हैं। इनका विद्यालय या मदरसा प्रायः वह स्थान बन जाता है जो इन्हें केवल एक खास समुदाय या धर्म की पहचान कराते हुए सामाजीकरण करता है।

निष्कर्ष

शोधार्थी द्वारा चयनित अनौपचारिक मदरसा शिक्षा और सरकारी प्राथमिक विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा, शिक्षण प्रक्रिया और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक आयामों के अंतर्संबंधों की पड़ताल की गई। शोध परिणाम से एक बात स्पष्ट होती है कि मुस्लिम समुदाय के लोग अपने बच्चों को मुख्यधारा की औपचारिक शिक्षा प्रदान करने में रुचि रखते हैं लेकिन साथ में मदरसे में प्रदान की जाने वाली धार्मिक शिक्षा को भी अपने बच्चों को प्रदान कराना आवश्यक समझते हैं। जिसे वे अपनी धार्मिक अस्मिता की निर्मिति का हिस्सा समझते हैं। इसका एक प्रमुख कारण शोध में पाया गया कि मुस्लिम समुदाय के लोग सरकारी प्राथमिक शिक्षा की विषयवस्तु में अपने धार्मिक मूल्यों, भाषा, सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने से संबंधित पहलुओं का अभाव पाते हैं। जिससे उनमें प्राथमिक शिक्षा के महत्व एवं उसके प्रति लगाव का विकास नहीं हो पाता है। यह भी उनकी औपचारिक शिक्षा से दूर होने का कारण है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताएँ, रूढ़ियाँ इत्यादि मिथकीय ज्ञान मुस्लिम बच्चों की शिक्षा को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित करते हैं।

विद्यालयी शिक्षा और मदरसा शिक्षा के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे दोनों शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों में सीखने को लेकर किसी तरह का संघर्ष उत्पन्न न हो। अनौपचारिक मदरसा शिक्षा प्रणाली को औपचारिक शिक्षा संगठन के अंतर्गत संचालित करना चाहिए। जिसके अंतर्गत विभिन्न धर्मों के मूल्यों, मानकों, गतिविधियों आदि को शामिल किया जाना चाहिए। जिससे अलग-अलग वर्ग एवं समुदाय के लोगों के बीच किसी तरह की असुरक्षा की भावना का विकास न हो।

नीतिगत संदर्भ में, सामुदायिक जागरूकता तथा सामाजिक एवं धार्मिक चेतना पर कार्य करने की आवश्यकता है। जिससे समाज में मदरसा शिक्षा और औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए सकारात्मक शैक्षिक वातावरण का विकास हो सके। ताकि हम अंतिम रूप से शिक्षा के माध्यम से समाज में समरसता एवं सद्भाव विकसित कर सकें।

मदरसों और स्कूली शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करने के लिए विशेष शैक्षिक कार्यक्रम एवं प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय स्तर

के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक गतिविधियाँ आयोजित की जाएँ, जिसमें विभिन्न समुदायों के बीच अंतर्क्रिया हो ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके तथा उनमें मानवीय समाज का दृष्टिकोण विकसित हो।

संदर्भ

आरा, अरजुमंद. 2004. मदरसा एंड मेकिंग ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी इन इंडिया. *इकोनामिक एंड पॉलिटिकल वीकली*.

आलम,अरशद. 2003. अंडरस्टैंडिंग मदरसा. *इकोनामिक एंड पॉलिटिकल वीकली*.

एसपीएमएम. *स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मिशन*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

गुप्ता, लतिका. 2008. 'ग्रोइंग अप हिन्दू एंड मुस्लिम— हाऊ अर्ली डस इट हैपन? *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*. XLIII (6) 35–41.

———. 2015. एजुकेशन, पोवर्टी एंड जेंडर. *स्कूलिंग मुस्लिम गल्स इन इण्डिया*. लंदन, न्यूयॉर्क, रूटलेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली.

डीवी, जॉन. 2008. *शिक्षा और लोकतंत्र*. ग्रन्थ शिल्पी प्रकाशन, दिल्ली.

बर्नस्टीन, बी. 1959. ए पब्लिक लैंग्वेज— सम सोशियोलोजिक इम्पलिकेशन ऑफ ए लिंग्विस्टिक फोर्म. *ब्रिटिश जर्नल ऑफ सोशिलिजम*. पृष्ठ संख्या 311–26.

बर्मन. 2010. इण्डिया सोशल क्योश्चन इन स्टेट ऑफ डिनायल. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*. XLV(23): पृष्ठ संख्या 42–69.

बसन्त. 2007. स्पेशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडिशन ऑफ इण्डियन मुस्लिम. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*. XLII (10), पृष्ठ संख्या 828–32.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण. 2007. *मिनट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इलिमेंटेशन*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

श्रीनिवासन, एम.एन. 1960. *इण्डिया विलेज*. एशिया पब्लिशिंग हाउस, बोम्बे.

सच्चर कमेटी. 2006. *भारत में मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति*. भारत सरकार.

सरस्वती, टी.एस. 1999. अडल्ट-चाइल्ड कन्टूयूनिटी इन इण्डिया— इज एडोलसेन्स ए मिथ ऑर एन इमरजिंग रियेल्टी. संपादन में टी.एस. सरस्वती. *कल्चर सोसिलाइजेशन एण्ड ह्यूमन डेवलमेंट*. सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली.

सिल्वरमैन, स्टाइवन बी. 1988. कन्टूयूनिटी/डिसकन्टूयूनिटी बिटवीन होम एंड अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन इन्वायरमेंट. द *इलीमेन्टरी स्कूल जर्नल*. 89(2), पृष्ठ संख्या 146–59.